हरियाणा विधान सभा सचिवालय

2023 का विधेयक संख्या 1–एच.एल.ए. 4798 दिनांकित 21 मार्च, 2023

संशोधन की सूचना

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

डॉ० कमल गुप्ता, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

खण्ड 2 में:– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 में,–

(i) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1) प्रत्येक शासकीय जनगणना के बाद, सरकार द्वारा नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों की कुल संख्या नियत की जाएगी। यदि निगम की सीमाओं में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है या निकाला जाता है या जहां ग्रामीण क्षेत्रों से मिलकर बना कोई क्षेत्र या उसका भाग, इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन नए निगम के रूप में घोषित किया जाता है, तो उस निगम की जनसंख्या, सम्पूर्ण या नए निगम के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, सीटों के पुनः नियतन के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित की जाएगी।"।

(ii) विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"**व्याख्या.**– यहां "जनसंख्या" से अभिप्राय है, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से यथा प्राप्त की गई जनसंख्या।"।

चण्डीगढ़
21 मार्च, 2023

आर.के. नांदल
सचिव।